एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 01 (जनवरी-फरवरी, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

भारत में उपभोक्ता संरक्षण के नियम

(डॉ. पूनम सिंह एवं *स्वपनिल सिंह)
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश
*संवादी लेखक का ईमेल पता: swapnilsing7233@gmail.com

औद्योगिक क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के विकास ने व्यापार के विशाल विस्तार को जन्म दिया है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार में विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएँ आई हैं। इसके साथ ही, बीमा, परिवहन, बिजली, आवास, मनोरंजन, वित्त और बैंकिंग जैसी कई सेवाएँ उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई हैं।उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा को खरीदते समय धोखाधड़ी, गलत जानकारी, या अन्य अनियमितताओं से सुरक्षित रहें।

व्यापार और उपभोक्ता संबंध

बाजार के बेहतर ज्ञान वाले निर्माताओं और व्यापारियों का एक सुव्यवस्थित क्षेत्र अस्तित्व में आया है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच संबंध प्रभावित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता संप्रभुता का सिद्धांत लगभग अप्रासंगिक हो गया है।

विज्ञापन और उपभोक्ता माँग:टेलीविज़न, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन उपभोक्ताओं की माँग को प्रभावित करते हैं, भले ही इनमें विनिर्माण दोष या खामियाँ, गुणवत्ता, मात्रा और शुद्धता में कमी हो सकती है।

उपभोक्ता संरक्षण की चुनौतियाँ

हालांकि एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है, फिर भी उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना, मिलावट तथा घटिया वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

मुख्य तत्व:

- ✓ **उपभोक्ता अधिकार**: उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्राप्त हैं, जैसे:
- ✓ **सुरक्षा का अधिकार**: जीवन और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित उत्पादों का अधिकार।
- ✓ **जानकारी का अधिकार**: सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
- ✓ **चुनाव का अधिकार**: विभिन्न विकल्पों में से चुनने का अधिकार।

उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास

भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये प्रयास उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए हैं।

1.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। इसके कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

मुख्य विशेषताएँ:

उपभोक्ता के अधिकार:

- **सुरक्षा का अधिकार**: उपभोक्ता को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है।
- **सूचना का अधिकार**: उपभोक्ता को उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
- **चयन का अधिकार**: उपभोक्ता को स्वतंत्र रूप से उत्पादों और सेवाओं का चयन करने का अधिकार है।
- **न्याय का अधिकार**: उपभोक्ता को न्याय पाने का अधिकार है।

2. भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणपत्र चिह्न) अधिनियम 1952:

यह अधिनियम 1952 में लागू किया गया था और 1961 में संशोधित किया गया। इस निकाय का नाम भारतीय मानक संस्थान (ISI) रखा गया और यह ISI प्रमाणपत्र चिह्न अधिनियम 1952 के अधीन आया। इसका कार्य विभिन्न कच्चे माल, उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के मानक प्रदान करना था।1987 में, इस संगठन का नाम Bureau of Indian Standards (BIS) अधिनियम-1986 के तहत बदल दिया गया। भारतीय मानक अब BIS द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, हालाँकि उत्पादों पर अभी भी उपयोग किया जाने वाला प्रमाणपत्र चिह्न ISI है, ताकि निर्माताओं और उपभोक्ताओं को संगठन के नाम में बदलाव के कारण कोई भ्रम न हो। यह अधिनियम "ISI" चिह्न के अनुचित उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम के तहत अधिकारियों को मानक चिह्नों के संबंध में उचित संदेह होने पर खोज और जब्ती की अनुमति है।

3.फल उत्पाद आदेश (1955):यह अधिनियम फलों और सब्जियों के उत्पाद निर्माताओं के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान करता है, ताकि गुणवत्ता, पैकिंग, लेबलिंग और विपणन से संबंधित न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। इसके तहत नमूनों की समय-समय पर जांच और परीक्षण किया जाता है।

4.कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग) विपणन अधिनियम (1977):यह अधिनियम यह निर्धारित करता है कि जैसे कि शुद्ध घी, अंडे आदि जैसे उत्पादों को ग्रेड किया जाना चाहिए। ग्रेडेड खाद्य उत्पादों पर AGMARK का आधिकारिक मोहर लगाया जाता है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर परीक्षण किया जाता है।

5.केंद्रीय पैक किए गए वस्तुओं (नियमन) आदेश (1975): यह आदेश उपभोक्ताओं को कई पैक की गई वस्तुओं के संदर्भ में सामग्री, वजन, मूल्य, निर्माण का महीना और निर्माता का नाम बताने का प्रावधान करता है, ताकि खुदरा बिक्री के लिए उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके।